

आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए)

मंत्रिमंडल ने एक नए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को तैयार एवं शुरू करने के लिए वैकल्पिक ढांचे को मंजूरी दी

Posted On: 19 JUL 2017 8:45PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निम्नलिखित के लिए वैकल्पिक ढांचे को प्राधिकृत किया है:

- 1. भारत सरकार के अधीन सभी सूचीबद्ध सीपीएसई में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिये विनिवेश से संबंधित निर्णय लेने के लिए जो इन सीपीएसई में भारत सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रहने पर निर्भर करेगा।
- 2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, अन्य सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (जब सूचीबद्ध होंगी) में ईटीएफ के जिरये अथवा अन्य माध्यम से विनिवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए जो भारत सरकार की 52 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रहने पर निर्भर करेगा।
- 3. ईटीएफ के माध्यम से विनिवेश से संबंधित मामलों में निर्णय लेने के लिए जैसे ईटीएफ पोर्टफोलियों का गठन, मूल्य/शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य जिस पर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर को ईटीएफ में तब्दील कर सरकार द्वारा विनिवेश के लिए ईटीएफ प्रदाता (एएमसी) को दिया जाएगा, निवेशकों को एकमुश्त छूट, लॉयल्टी बोनस आदि देने के लिए प्रोत्साहन ढांचा और मूल्य निर्धारण से संबंधित किसी भी पहलू। जरूरत के अनुसार विनिवेश के तरीके पर निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।

AKT/VBA/SH/SKC

(Release ID: 1496422) Visitor Counter: 17









in